



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)  
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)  
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India

18 संस्थागत क्षेत्र/18 Institutional Area,  
शाहीदजीत सिंह मार्ग/Shahheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली/New Delhi – 110016  
दूरभाष/Telephone: 011-26858570

वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.क्र.11-E-3048(1)/ 2021-Estt-III / 2021

दिनांक: 16.12.2021

### कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय, तेहरान में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षक को एतद द्वारा भारत को प्रत्यावर्तित किया जाता है और उनके नाम के आगे उन्लिखित केन्द्रीय विद्यालय के निम्नलिखित टेबल के (कालम क.5 ) के अनुसार उन्हें तैनाती प्रदान की जाती है। उन्हें यह भी आदेशित दिया जाता है कि के.वि. तेहरान से प्रत्यावर्तन उपरांत संबंधित केन्द्रीय विद्यालय (कालम क.5 ) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो एवं के. वि. तेहरान के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएँ भी ले ।

S.NO.	NAME		KV where working	POSTED TO KV AFTER REPATRIATION
1	2	3	4	5
1	MRS. K.BEENA	PGT (ECONOMICS)	KV TEHRAN	KV NO.2 AFS JALAHALLI (BENGALURU REGION)
2	MR. BRAJESH KUMAR	PGT (BIOLOGY)	KV TEHRAN	KV ARUVANKADU ( CHENNAI REGION)
3	MR. A.K. MAHAPATRA	PGT ( MATHS)	KV TEHRAN	KV SURDA ( RANCHI REGION)

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(धर्मन्द्र पटले)

सहायक आयुक्त (स्थापना-2/3)

वितरण :

1. संबंधित शिक्षक।
2. अध्यक्ष, वि.प्र.स., के.वि. भारतीय दूतावास, तेहरान को सूचनार्थ।
3. प्र.चार्य, के.वि. भारतीय दूतावास, तेहरान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्राचार्य, संबंधित विद्यालय (उक्त कॉलम 5 के अनुसार ) को इस निवेदन के साथ कि वह पदस्थ शिक्षक के कार्यभार ग्रहण के उपरांत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा इन पदों पर यदि कोई अनुबंधित शिक्षक कार्य कर रहे हो तो दिनांक 31.03.2022 तक जारी रखा जाए , क्योंकि उक्त शिक्षक के. वि. तेहरान के छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएँ भी लेंगे .
5. संयुक्त आयुक्त (वित्त), के.वि.सं को सूचनार्थ।
6. उपायुक्त, के.वि.सं. संबंधित संभाग को सूचनार्थ।
7. उपायुक्त (ईडीपी) प्रकोष्ठ, के.वि.सं. को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को के.वि.सं. (मु.) की वेबसाइट पर अपलोड करें ।
8. वित्त अधिकारी, के.वि.सं. संबंधित संभाग को सूचनार्थ।
9. अनभाग अधिकारी (पी एफ ) के वि सं म को सूचनार्थ।